

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कहलगाँव

पत्रांक:- 167/2025 कहलगाँव

दिनांक:- 17.10.2025

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल कहलगाँव ।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी
ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना ।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन (ST) योजना अंतर्गत कराये गए विभागीय कार्य का भुगतान हेतु आवंटन -अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन (ST) योजना अंतर्गत कराये गए विभागीय कार्य का भुगतान हेतु अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक करवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनुलग्नक:- संलग्न सूची

1. पथ का आवंटन अधियाचना प्रपत्र

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल कहलगाँव

17/10/25

GFR 12-B
[See Rule 256 (2)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

- (1) Certified that out of the Loan of Rs 0.00 Sanctioned under MMGSUY(ST), dated, in favour of E.E Kahalgaon, during the year 2025-26, an amount of Rs 0.00, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs 0.00 remaining unutilized at the end of the year.2025 has been surrendered to the Government (vide No....., dated.....)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.
- (2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Signature.....

Designation.....

Date.....


12/10/25

Position Format for Scheme Head - MMGSUY(ST)

Name of Division : Kahalgaon

S.N.	Package no.	Project ID as per MIS	Name of Road	AA Length (In Km)	Administrative Approval (Construction Work) Amount (in Lac)	Agreement (Construction Work) Amount (in Lac)	Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Work Status (WBM/W MM/BM/S DBC etc.)	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Total Previous Allotted Amount (In Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Value of Work Done(in Lakh)	Current Demand(in Lakh)	Remarks
1	-	3070340310001	NH-80 to Rajandipur (VR16)	2.465	10.546	-	-	-	-	Work Completed	2865	25mm	5%	0.00000	0.00000	10.54410	10.54410	Work Completed
2	-	3070340310002	L028-NH-80 to Gopalpur (VR11)	2.700	69.802	-	-	-	-	Work Completed	2724	25mm	5%	0.00000	0.00000	69.04553	69.04553	Work Completed
TOTAL																	79.58963	


D.A. 7/10/25
RWD, (W), Division, Kahalgaon


Executive Engineer
RWD, (W), Division, Kahalgaon

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-128/2025 -685
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 31-03-2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रू0 309.767 लाख रुपये मात्र है, पर (कुल 07 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 05 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तम्भ 07 में अंकित कुल राशि 309.767 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

क्र. सं.	जिला	कार्य उपखंड	प्रखण्ड	योजना का नाम	विशेषीय पर से कराये गये कार्य की लम्बाई (कि0मी0)	कुल अनुमोदित राशि (लाख रू०)
1	Patna	Patna	Daniawan	SII-78 Bihta, Semra Road To Tope Village Via Aiman Bigha, Kundalia	3.025	183.737
2	Aurangabad	Aurangabad	Nabinagar	Permanent Restoration of Box Culvert 3m x 4m over Road Chandragarh to Gamaulham Via Mungia Bhagwanpur	0.920	26.788
3	Aurangabad	Aurangabad	Barun	Restoration of Damage Structure NH-2 GT Road to Baradhi Riur to Ankora Station in 3rd Km Dindhi Nala	1.950	18.894
4	Bhagalpur	Kahalgao	Sahour	NH 80 to Rajandpur (VR 16)	2.465	10.546
5	Bhagalpur	Kahalgao	Sahour	L078-NH-80 to Gopalpur (VR 11)	2.700	69.802
Total					11.060	309.767

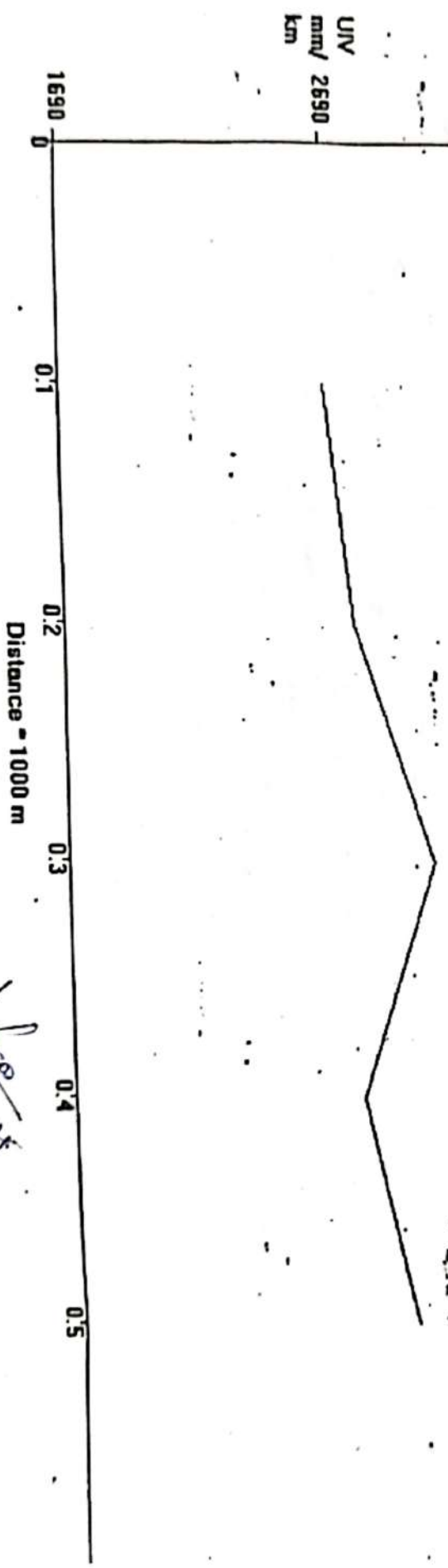
- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष -0110-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जनजाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-796-0110, मूल बजट उपबंध-75 करोड़ रू0 है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-143/2025, दिनांक 27.03.2025 को प्राप्त है।
- सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-128/2025 में दिनांक 30/03/2025 को पृ0-09/टि0 पर प्राप्त है।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकांसी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-128/2025 के पृ0-11/टि0 पर दिनांक-31.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

File : C:\Users\MAX\Desktop\bumpp\RAJANDIPUR.XIS. Section No.:36. Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.969 \cdot X + 74.60$
Name of Customer : Departmental Work. Name of Work/ Road : NH-80 to Rajandipur (VR16). Lab Job number :



Project No. 10/10/2025
10/10/2025
Bumpp

Section 36